



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-08.01.2025

एसओजी शामली व थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत शमशान घाट गौशाला रोड पर हुयी पुलिस मुठभेड में 01 पशु चोर घायल व 02 अन्य साथी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद:-*

आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस को कृष्णा नदी पुल पर चैकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि शमशान घाट गौशाला रोड के पास पशु चोर चोरी की घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना थानाभवन पुलिस व एसओजी टीम शामली द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर पुलिस मुठभेड में 01 पशु-चोर को उसके 02 साथियों सहित पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में 01 पशु चोर फैजान घायल हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी थानाभवन भेजा गया। मुठभेड में घायल अभियुक्त फैजान के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त पिकअप बोलैरो रजि0नं0- UP11CT2191 बरामद हुयी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.फैजान पुत्र इमरान निवासी बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौहल्ला भाजुपुरा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर। (घायल)

2.आमिर पुत्र शमीम निवासी बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

3.मुस्तकीम पुत्र कालू निवासी कस्बा झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फैजान उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 20/15 धारा 147/148/212/224/225/332/353 भादवि गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 134/15 धारा 147/148/149/302/307/341 भादवि कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3.मु0अ0सं0 592/15 धारा 171 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

4.मु0अ0सं0 566/19 धारा 414/420/467/468/471 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 384/22 धारा 414 भादवि थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

6.मु0अ0सं0 385/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

7.मु0अ0सं0 312/23 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

8.मु0अ0सं0 57/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिर उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 629/17 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2.मु0अ0सं0 296/20 धारा 414/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध एक तमंचा मय 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.घटना में प्रयुक्त पिकअप बोलैरो रजि0नं0- UP11CT2191



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार मय कारतूस बरामद:-
आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अरूण शर्मा पुत्र सत्यवान निवासी ग्राम गोगवान थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।

2. है०का० अंकुर निरवाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

3. का० पंकज शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।



महिला थाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने व मारपीट कर घर में कैद रखने व किसी को बात बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 23.11.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने व मारपीट कर घर में कैद रखने व किसी को बात बताने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध पीड़िता के द्वारा तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर महिला थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा महिला थाना को अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में महिला थाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती विवाह कर दुष्कर्म करने व मारपीट कर घर में कैद रखने व किसी को बात बताने पर जान से मारने की धमकी देने के में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में महिला थाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.पवन डिल्लो पुत्र स्व0 धूप सिंह निवासी ग्राम ढोला थाना कोतवाली जिंद जनपद जिंद हरियाणा।

